

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.  
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,  
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पटोरी, समस्तीपुर ।

पटना, दिनांक- 11-01-2019

विषय:- सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या-19788/2011 से संबंधित दायर एम.जे.सी. संख्या-134/2017 दयानन्द प्रसाद सिन्हा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक-03.12.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में जयधोष सूद की राशि ₹. 89,300/- (नवासी हजार तीन सौ) रु. मात्र का उप आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित के संबंध में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-112(7) दिनांक-19.12.2018 तथा वित्त विभागीय आवंटनादेश संख्या-924 वि० दिनांक-31.12.18 (प्रति संलग्न) के आलोक में ₹ 89,300/- (नवासी हजार तीन सौ) रु. मात्र का उप आवंटन दी जाती है ।

2. उपर्युक्त सूद की राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या-13, बजट शीर्ष 2049-ब्याज- आदायगियाँ (प्रभृत) उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य दायित्वों पर ब्याज -701-विविध उपशीर्ष-0003- विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय विस्तृत शीर्ष-45-ब्याज, विषय शीर्ष-01-ब्याज, विपत्र कोड संख्या-13-2049607010003 अन्तर्गत उपबंधित राशि से व्यय किया जायेगा ।

3. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पटोरी, समस्तीपुर होंगे । तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार/उप कोषागार, समस्तीपुर से होगी ।

4. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के पत्र सं०-924 वि० दिनांक-31.12.18 के आलोक में निर्गत किया जाता है ।

5. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

( राधेश्याम साह )

सरकार के विशेष सचिव

रजा

ज्ञापांक : 83 (7) ब

पटना, दिनांक : 11-01-2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी /को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा-12, 7/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

रजा